न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–65/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हमीदा पुत्र श्री सूजा जाति मेव ।
2. इसराईल पुत्र श्री सूजा मेव जाति मेव निवासीयान ग्राम नीकच तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री विशम्भर दयाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.01.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी की बाबत पूर्व रेकार्ड जहां कहीं भी चारागाह कस्टोडियन भूमि अंकित है व ताहाल राजस्व रेकार्ड तक दर्ज गलत इन्द्राज चारागाह कस्टोडियन को कलमजन कर हटाया जाकर विवादित आराजी सम्वत् 2058 के अनुसार साबिक ख0 नं0 1232 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा जिसका हाल ख0 नं0 1746 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम नीकच तहसील रामगढ़ का

18/1/19

वादी सं0 1 को व साबिक ख0 नं0 1233 मिन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा एवं 1233 मिन साबिक ख0 नं0 1749 जिसके हाल ख0 नं0 1749 रकबा 0.64 व 1750 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम नीकच तहसील रामगढ़ जिला अलवर का वादी सं0 2 को खातेदार घोषित किया जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया । विद्वान तहत न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत नीकच में दि0 14.06.2016 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 14.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय द्धारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य के विपरित विधि विरूद्ध खिलाफ मौका, कब्जा वस्तुस्थिति के विपरित कैम्प कोर्ट में पत्रावली रखने व सुनवाई करने बाबत बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटिस दिये, गलत आधार पर तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है । अपीलांट के पूर्वज चाहत, लंगड़ा, गफूर पुत्रान भूपसिंह विवादित आराजीयात पर प्रारम्भ से ही काबिज रहकर काश्त करते रहे । अपीलांट के पूर्वज ना तो कभी पाकिस्तान गये व ना ही अपीलांट के पूर्वजों को उक्त विवादित आराजी पर विस्थापित किया गया बल्कि वे बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करते रहे एवं उनके जीवनकाल से व उनके मरने के बाद अपीलांट काबिज रहकर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं । राजस्व विभाग/सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के द्धारा विवादित आराजी की बाबत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी आदि में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिए था लेकिन विवादित आराजीयात को चारागाह कस्टोडियन दर्ज कर दिया जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका व कब्जा है । तहत न्यायालय द्धारा अपीलांट के वाद को उसी दिन तहसीलदार से जवाब लेकर महज तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर खारिज किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ना ऐस करने का कोई प्रावधान है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

प्रतिउत्तर में पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि विवादित आराजी लगभग 52 वर्ष पूर्व सम्वत् 2020 अर्से दराज से चारागाह भूमि दर्ज रेकार्ड चली आ रही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबन्ध है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय तर्क संगत व उचित है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 का अवलोकन किया ।

18/1/19

हमने तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण जवाब में विचाराधीन था और राजस्व कैम्प में तहसीलदार की रिपोर्ट लेकर वाद वादी खारिज किया । किसी भी वाद में सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार दावा जवाब दावा एवं तनकीयात कायम करके साक्ष्य ली जाकर रेकार्ड व साक्ष्य से वाद का निस्तारण किया जाता है । यहां पर तहत न्यायालय ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है । साक्ष्य व सुनवाई का अवसर अपीलांट को नहीं दिया । साबिक रेकार्ड की कोई व्याख्या नहीं की है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय कानून सम्मत नहीं होने के काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेकार्ड हाल व साबिक का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/1/19

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर